


छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर  
-:: आदेश ::-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26.06.2020

कमांक 317/एफ 2019-61-00063/वित्त/नियम/चार :: छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में जारी आदेशों द्वारा गठित विभागीय समिति में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है:-

1. श्री सतीश पाण्डे, अपर सचिव, वित्त - अध्यक्ष
  2. संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त (नियम शाखा) - सदस्य
  3. संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त (बजट शाखा) - सदस्य
  4. प्रशासकीय विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य  
(जो उप सचिव/संयुक्त संचालक से कम स्तर का न हो)
  5. अवर सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (नियम शाखा) - संयोजक सदस्य
- (अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

  
(आनंद मिश्रा)  
अवर सचिव

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26.06.2020

पृ.कमांक 318/एफ 2019-61-00063/वित्त/नियम/चार,  
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव/सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
2. श्री सतीश पाण्डे, अपर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
3. संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त (नियम शाखा), मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त (बजट शाखा), मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
5. अवर सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त (नियम शाखा) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

  
अवर सचिव